FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (GDO) बायतु मुकाम

पूनमाराम बनाम मूलाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा॰ का॰ 88, 40, 188 RTA-Act नं. 14/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/01/19	~~प्रार्थी~~/वादी/~~अपीलांट~~ के वकील श्री देवाराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद/अपील~~ धारा 88, 40, 188 RTA-Act राजस्थान काश्तकारी/~~भू राजस्व~~ अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। ~~विप्रार्थी~~ /प्रतिवादी/~~रेस्पोडेंट~~ जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 18/02/19 को पेश हो।	
18/02/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय रक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इत्तवा होकर दिनाक 25/02/19 को पेश हों।	
25/02/19	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। चूंकि पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इत्तवा होकर आगामी दिनांक 08/05/19 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 16:16:11 IST
Reason: SelfAttested

08/05/19 वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी... बावजूद तामील अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 27/08/19 को पेश हो।

27/08/19 वादी स्वयं व वादी वकील तथा प्रतिवादी संख्या-1 से 3 स्वयं उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 से 3 की ओर से वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी द्वारा वकालातनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 14/10/19 को पेश हो।

14/10/19 वकुलाय फरीकैन उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-2 व 3 की ओर से जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया तथा प्रतिवादी संख्या-1 के द्वारा इकबाली जवाब मय प्रतिवादी संख्या-2 व 3 के काउन्टर क्लेम का इकबाली जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः वास्ते वादी साक्ष्य पत्रावली दिनांक-26/11/19 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक ... (SDO)

26/11/19 वकुलाय फरीकैन उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 18/03/20... हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 16:16:11 IST
Reason: SelfAttested

क्र. हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/03/2020	बहुलाय फरीकेन उपस्थित। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में PW-1- पुनमाराम पुत्र मूलाराम जाति- जाट निवासी- मेहराजाणियों की बेरी बायतु तह0- बायतु, PW-2- छगनाराम पुत्र भूराराम जाति- जाट निवासी- बायतु व प्रतिवादी वकील द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में DW-1- मूलाराम पुत्र जेठाराम जाति- जाट निवासी- मेहराजाणियों की बेरी बायतु तथा DW-2- मेहाराम पुत्र मूलाराम जाति- जाट निवासी- मेहराजाणियों की बेरी बायतु, तहसील- बायतु के शपथ- पत्र पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी व प्रतिवादी वकील और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है साक्ष्य बन्द किये जाकर वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 24/06/2020 को पेश हो। विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	पुनमाराम मूलाराम मेहाराम छगनाराम
24/06/20	बहुलाय फरीकेन उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई वादीगण का वाद व प्रतिवादीगण का उजर स्वत्व स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अन्तिम डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 16:16:11 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
14/09/20	वादी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र धारा 151, 152 CPC वास्ते पत्रावली आज पेशी तारीख पर तलब कर अन्तिम डिक्री पर्चा में संशोधित करने बाबत का प्रस्तुत किया गया। वादी वकील के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया जाकर पत्रावली आज पेशी तारीख पर तलब की गई। वादी वकील द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 24/06/2020 को जारी अन्तिम डिक्री पर्चा जारी करते समय डिक्री पर्चा में प्रतिवादीगणों की क्रम संख्या-1 में दुरुस्त न की जाकर टंकण भूल से क्रम संख्या-2 में दुरुस्त कर दी गई जिसे शुद्ध किया जाकर संशोधित डिक्री पर्चा क्रम संख्या-1 में दुरुस्त किया जाकर पुनः संशोधित डिक्री पर्चा जारी किया जावे। अतः वादी अधिवक्ता के निवेदन पर संशोधित डिक्री पर्चा जारी किया जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 16:16:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान--सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 14 / 2019

वादीगण

1. पूनमाराम पुत्र मूलाराम जाति–जाट, निवासी–मेराजोणियों की बेरी, बाटाडू, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादी

1. मूलाराम पुत्र जेताराम
2. मेहाराम पुत्र मूलाराम
3. रूगनाथराम पुत्र मूलाराम
4. जगराम पुत्र अचलाराम
5. दलाराम पुत्र अचलाराम
6. लालाराम पुत्र राजूराम
7. नारणाराम पुत्र लिखमाराम
8. रूपोंदेवी पत्नी लिखमाराम
9. हड़ुमानराम पुत्र देदाराम
10. लिछमणाराम पुत्र देदाराम
11. प्रभूराम पुत्र देदाराम
12. गवरी पुत्री देदाराम
13. रूखमोंदेवी पत्नी देदाराम जातियान्–जाट, निवासीयान्–मेराजोणियों की बेरी, बाटाडू, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर
14. शाखा प्रबन्धक, आर.एम.जी.बी. बाटाडू
15. तहसीलदार, बायतु

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री खेताराम जाखड़ वकील वादीगण
2. श्री कुम्भसिंह चौधरी वकील प्रतिवादी 1 से 3

–: निर्णय :– दिनांक 24/06/2020

वादी ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 13 की पैतृक कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा मेराजोणियों की बेरी पटवार मण्डल बाटाडू तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 1944/1435, 1440, 1441, 1832/1441 रकबा क्रमशः 54.13, 05.12, 07.00, 34.01 बीघा, मौजा बाटाडू पटवार मण्डल बाटाडू के खेत खसरा नम्बर 1768 रकबा 59.05 बीघा व मौजा हेमाणियों का तला पटवार मण्डल बाटाडू के खेत खसरा नम्बर 1518 रकबा 75.06 बीघा में आई हुई है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही पूर्वज जेताराम के वंशज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादी के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादी के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के क़ब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादी के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी का संयुक्त कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक भूमि है और

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 16:16:11 IST
Reason: SelfAttested

धिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादी का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा तथा वादी अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के 1/2 हिस्से के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

पक्षकारान् को सुना गया एवं वादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र व स्वतंत्र गवाह पेश किये गये तथा प्रतिवादी द्वारा उपस्थित होकर, इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए, वादग्रस्त भूमि में वादी को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा जवाब मय काउण्टर क्लेम पेश कर वादीगण के साथ–साथ प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 के प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के जवाब मय काउण्टर क्लेम का इकबाली जवाब पेश कर, वादीगण के साथ–साथ प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को सहखातेदार काश्तकार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 का इकबाली जवाब, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का काउण्टर क्लेम शामिल पत्रावली कर, वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादी के दादा जेताराम के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादी के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादी लालाराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादी का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में वादी सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा मेराजोणियों की बेरी पटवार मण्डल बाटाडू तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 1944/1435, 1440, 1441, 1832/1441 रकबा क्रमशः 54.13, 05.12, 07.00, 34.01 बीघा, मौजा बाटाडू पटवार मण्डल बाटाडू के खेत खसरा नम्बर 1768 रकबा 59.05 बीघा व मौजा हेमाणियों का तला पटवार मण्डल बाटाडू के खेत खसरा नम्बर 1518 रकबा 75.06 बीघा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 को प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का हिस्सा पूर्व की भांती संबंधित बैंक में रहन रहेगा। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 24/06/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 16:16:11 IST
Reason: SelfAttested

(SDO)
सहायक कलेक्टर, बायतु

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
पूनमाराम पुत्र मूलाराम वगैरह		1. मूलाराम पुत्र जेताराम वगैरह

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या–14 / 19. निर्णय दिनांक :–

वादी की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख .... को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर, बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा मेराजोणियों की बेरी पटवार मण्डल बाटाडू तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 1944 / 1435, 1440, 1441, 1832 / 1441 रकबा क्रमशः 54.13, 05.12, 07.00, 34.01 बीघा, मौजा बाटाडू पटवार मण्डल बाटाडू के खेत खसरा नम्बर 1768 रकबा 59.05 बीघा व मौजा हेमाणियों का तला पटवार मण्डल बाटाडू के खेत खसरा नम्बर 1518 रकबा 75.06 बीघा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 को प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का हिस्सा पूर्व की भांती संबंधित बैंक में रहन रहेगा। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 24/06/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 16:16:11 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. पूनमाराम पुत्र मूलाराम जाति–जाट, निवासी–मेराजोणियो की बेरी, बाटाडू, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर		2. मूलाराम पुत्र जेठाराम 3. मेहाराम पुत्र मूलाराम 4. रूगनाथराम पुत्र मूलाराम 5. जगराम पुत्र अचलाराम 6. दलाराम पुत्र अचलाराम 7. लालाराम पुत्र राजूराम 8. नारणाराम पुत्र लिखमाराम 9. रूपोंदेवी पत्नी लिखमाराम 10. हड़ुमानराम पुत्र देदाराम 11. लिछमणाराम पुत्र देदाराम 12. प्रभूराम पुत्र देदाराम 13. गवरी पुत्री देदाराम 14. रूखमोंदेवी पत्नी देदाराम जातियान्–जाट, निवासीयान्–मेराजोणियों की बेरी, बाटाडू, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर 15. शाखा प्रबन्धक, आर.एम.जी.बी. बाटाडू 16. तहसीलदार, बायतु

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 16:16:11 IST
Reason: SelfAttested

संशोधित अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
पूनमाराम पुत्र मूलाराम वगैरह		1. मूलाराम पुत्र जेताराम वगैरह

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या–14/19. निर्णय दिनांक :–

वादी की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14/09/2020 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर, बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा मेराजोणियों की बेरी पटवार मण्डल बाटाड़ू तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 1944/1435, 1440, 1441, 1832/1441 रकबा क्रमशः 54.13, 05.12, 07.00, 34.01 बीघा, मौजा बाटाड़ू पटवार मण्डल बाटाड़ू के खेत खसरा नम्बर 1768 रकबा 59.05 बीघा व मौजा हेमाणियों का तला पटवार मण्डल बाटाड़ू के खेत खसरा नम्बर 1518 रकबा 75.06 बीघा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 को प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का हिस्सा पूर्व की भांती संबंधित बैंक में रहन रहेगा। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 14/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फ़ीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फ़ीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 16:16:11 IST
Reason: SelfAttested

बनाम

वादीगण

1. पूनमाराम पुत्र मूलाराम
   जाति–जाट, निवासी–मेराजोणियों की
   बेरी, बाटाडू, तहसील–बायतु,
   जिला–बाड़मेर

प्रतिवादी

1. मूलाराम पुत्र जेताराम
2. मेहाराम पुत्र मूलाराम
3. रूगनाथराम पुत्र मूलाराम
4. जगराम पुत्र अचलाराम
5. दलाराम पुत्र अचलाराम
6. लालाराम पुत्र राजूराम
7. नारणाराम पुत्र लिखमाराम
8. रूपोंदेवी पत्नी लिखमाराम
9. हड़ुमानराम पुत्र देदाराम
10. लिछमणाराम पुत्र देदाराम
11. प्रभूराम पुत्र देदाराम
12. गवरी पुत्री देदाराम
13. रूखमोंदेवी पत्नी देदाराम
    जातियान्–जाट, निवासीयान्–
    मेराजोणियों की बेरी, बाटाडू,
    तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर
14. शाखा प्रबन्धक, आर.एम.जी.बी.
    बाटाडू
15. तहसीलदार, बायतु

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 16:16:11 IST
Reason: SelfAttested